न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 141/2013/223 आर टी ए

1. औमप्रकाश पुत्र तिलोकाराम जाति जाट निवासी जोरावरपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़।

––अपीलांट

बनाम

1. हरीसिंह पुत्र तिलोकाराम जाति जाट निवासी जोरावरपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. बृजलाल पुत्र तिलोकाराम जाति जाट निवासी जोरावरपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. श्योचन्द पुत्र तिलोकाराम जाति जाट निवासी जोरावरपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़।

–– रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्व निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.07.2013 न्यायालय सहायक कलैक्टर हनुमानगढ़

प्रकरण संख्या 133/2013 अनवानी ओमप्रकाश बनाम हरीसिंह आदि

उपस्थित :–

श्री विजय कौशिक अधिवक्ता अपीलांट

श्री राजेन्द्र भुंवाल अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1 ता 3

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 4

निर्णय दिनांकः–06.11.2017

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि अपीलांट/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 आरटीए का पेश किया गया जो रेस्पो0/प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी प्रस्तुत किया जिसे स्वीकार कर अपीलांट/वादी का वाद खारिज कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।
2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि विचारण न्यायालय ने पूर्व दावा 35/2005 निर्णय दिनांक 21.04.2007 के विरूद्ध अपील माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ के यहां जैरकार होने के कारण प्रश्नगत वाद जो अपीलांट द्वारा प्रतिवादीगण रेस्पो. सं. 1 ता 3 के विरूद्ध प्रस्तुत किया उसे आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के अन्तर्गत खारिज किया जो विधिक प्रावधानो के विपरीत है उक्त धारा मे वर्णित सिद्धांत प्रश्नगत वाद पर कतई लागू ही नही होते थे परन्तु उस और गौर किये बिना विधि के आज्ञापक सिद्धांतो के विपरीत अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है। अपीलांट ने विचारण न्यायालय के समक्ष बंटवारानामा प्रस्तुत किया था जिसके प्रश्नगत भूमि अपीलांट व रेस्पो0 सं. 1 ता 3 की मुश्तरका दर्ज थी उसी के अनुसार दावा मे दर्ज भूमि का खाता विभाजन मे प्राप्त होना दर्शित करते हुए अनुतोष चाहा था जो किसी भी सूरत मे किसी

भी विधि द्वारा वर्जित नही था। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते समय विचारण न्यायालय ने यह माना है कि अपील मे पूर्व निर्णय व डिक्री को चुनौती दी गई है यह अपील के निर्णय पर निर्भर होगा कि वादी व प्रतिवादीगण को प्रकरण सं. 35/05 मे खाता विभाजन मे मिली आराजी मिलती है या उस समय के अन्य सहकाश्तकारान के साथ अन्य आराजी मिलती है, इस कारण वाद चलने योग्य नही माना गया है परन्तु उक्ताधार पर दावा खारिज किसी भी सूरत मे नही हो सकता था। अगर यह तैय होना बाकी भी है तो भी वाद आदेश 7 नियम 11 सीपीसी मे खारिज नही होता बल्कि धारा 10 सीपीसी के तहत स्थगित किया जा सकता था। अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन मे आरआरटी 2005 पेज 233, आरआरडी 2002 पेज 532 न्यायिक दृष्टांत पेश किये। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1 ता 3 ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुए कथन किया कि अपीलांट व रेस्पो0 के पिता स्व. तिलोकाराम के भाईयो की संतानो द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़ मे वाद संख्या 35/05 अनवान मनफूल बनाम सुरजाराम आदि प्रस्तुत करके दिनांक 21.04.2007 को एकतरफा तौर पर अपने पक्ष मे डिक्री करवा लिया जिसका ज्ञान अपीलांट व रेस्पो0 को कभी भी होने दिया। इस एकतरफा डिक्री की जानकारी रेस्पो0 को दिनांक 11.09.2008 को हुई तब अविलम्ब ही रेस्पो0 द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ के न्यायालय मे अपील सं. 79/08 अनवान हरी सिंह आदि बनाम मनफूल आदि प्रस्तुत की। इस अपील मे अपीलांट भी रेस्पो0 सं. 12 के रूप मे पक्षकार है व न्यायालय द्वारा अपील मे स्थगन आदेश भी दिया हुआ है। इस प्रकार से आराजी विवादग्रस्त होन के कारण व पूर्व विभाजन के पश्चात न्यायालय द्वारा एकतरफा डिक्री दिये जाने के कारण व अपील लम्बित होने के कारण इस संबंध मे कोई कार्यवाही करने की अधिकारिता इस स्तर पर अपीलांट को नही है तथा प्रश्नगत आराजी के संबंध मे अपील व निगरानी लम्बित होने की अवस्था मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट का वाद सही खारिज किया है। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जावें।

5. राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. सं. 4 ने अपनी बहस मे कथन किया कि प्रकरण मे विधि अनुसार निर्णय पारित करते हुए प्रकरण का निस्तारण किया जावें।

6. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन करने के उपरांत निष्कर्ष है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा खाता विभाजन का अनुतोष चाहते हुए दावा प्रस्तुत किया। दावा मे वर्णित भूमि के

संबंध मे पूर्व मे वाद संख्या 35/05 अनवानी मनफूल बनाम सूरजाराम आदि प्रस्तुत हुआ जो दिनांक 21.04.07 को डिक्री हुआ तथा उक्त डिक्री के विरूद्ध प्रतिवादीगण/रेस्पो0 द्वारा अपील संख्या 79/08 अनवान हरीसिंह बनाम मनफूल आदि प्रस्तुत की जो विचाराधीन है। पूर्व वाद एवं हस्तगत अपीलाधीन वाद मे वर्णित भूमि सम्मान है तथा अपीलाधीन वाद के पक्षकार भी पूर्व मे वाद संयोजित थे।

7. इस प्रकार एक ही आराजी भूमि के संबंध मे पूर्व वाद दायर/डिक्री होने के कारण उसके विरूद्ध अपील विचाराधीन रहते हुए पुनः उसी आराजी भूमि के संबंध दूसरा वाद प्रस्तुत किया गया जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के आधार पर यह उल्लेखित करते हुए खारिज कर दिया कि प्रश्नगत आराजी भूमि का खाता विभाजन का वाद इसी न्यायालय मे वाद सं. 35/05 विचाराधीन रहा जिसका निर्णय दिनांक 21.04.07 को हुआ। इस निर्णय मे वादी एवं प्रतिवादीगण का खाता विभाजन अन्य सहकाश्तकारान के मध्य हुआ। जिसकी अपील प्रतिवादीगण द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ मे दायर की गयी जो अभी विचाराधीन है। इसलिए वादी प्रश्नगत आराजी का हस्तगत दावा के द्वारा खाता विभाजन के अधिकारी नही है।चूंकि अपील मे पूर्व निर्णय व डिक्री को चुनौती दी गयी है। यह अपील के निर्णय पर निर्भर होगा कि वादी व प्रतिवादीगण को प्रकरण सं. 35/05 मे खाता मे मिली आराजी मिलती है या उस समय के अन्य सहकाश्तकारान के साथ अन्य आराजी मिलती है। इसी आधार पर वाद चलने योग्य नही होने के कारण प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार कर दावा खारिज किया गया जिसमे बिना किसी औचित्य एवं प्रक्रियात्मक त्रुटि के हस्तक्षेप किया जाना न्यायसंगत नही होने के कारण अपील अपीलांट को निरस्त किया जाना न्यायोचित है।

8. अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.07.2013 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.11.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हरभान मीणा आर..ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

डिक्री व सीगे अपील
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
बइजलास हरभान मीणा आर0ए0एस0

अपील संख्या – 141/2013/223 आर टी ए

1. औमप्रकाश पुत्र तिलोकाराम जाति जाट निवासी जोरावरपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़।

––अपीलांट

बनाम

1. हरीसिंह पुत्र तिलोकाराम जाति जाट निवासी जोरावरपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. बृजलाल पुत्र तिलोकाराम जाति जाट निवासी जोरावरपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. श्योचन्द पुत्र तिलोकाराम जाति जाट निवासी जोरावरपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़।

–– रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्व निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.07.2013 न्यायालय सहायक कलैक्टर हनुमानगढ़

प्रकरण संख्या 133/2013 अनवानी ओमप्रकाश बनाम हरीसिंह आदि

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री विजय कौशिक अधिवक्ता अपीलांट, श्री राजेन्द्र भुंवाल अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1 ता 3 एवं श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 4 की ओर से पेश होकर हुक्म हुआ है कि अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.07.2013 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 06.11.2017 को जारी की गई।

(हरभान मीणा आर.ए.एस.)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ